प्रेस–नोट

दिनांकः 08 सितम्बर, 2025

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने एसटीयू/यूपीपीटीसीएल द्वारा दायर याचिका के आधार पर वित्त वर्ष 2025–26 हेतु राज्यांतर्गत प्रसारण टैरिफ निर्धारित किया

- **मासिक राज्यांतर्गत प्रसारण टैरिफ अब प्रति यूनिट ऊर्जा प्रसारण (₹/kWh) के स्थान पर आधारभूत प्रसारण क्षमता (₹ प्रति MW) पर निर्धारित किया गया है।**
- **राज्य के डिस्कॉम्स एवं भारतीय रेल से ₹2,13,284.55 (प्रति MW/माह) की दर से राज्यांतर्गत प्रसारण टैरिफ वसूला जाएगा।**
- **अन्य ओपन एक्सेस उपभोक्ता अब भी प्रति MW के स्थान पर प्रसारित प्रति यूनिट ऊर्जा के आधार पर शुल्क अदा करेंगे, जिसकी दर ₹0.2674 प्रति kWh होगी।**
- **उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 तथा डाटा सेंटर नीति, 2021 के अनुसार निर्धारित छूट (Rebate) लागू होगी।**
- **यूपीपीसीएल/राज्य स्वामित्व वाले वितरण लाइसेंसधारियों के उपभोक्ताओं को संशोधित पद्धति से लाभ मिलेगा क्योंकि इससे राज्य स्वामित्व वाले वितरण लाइसेंसधारियों पर बोझ कम होगा।**

1. उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (UPPTCL) ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 के अंतर्गत प्रसारण लाइसेंसधारी के रूप में याचिका संख्या 2166/2024 दायर की थी। इसमें वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप, वित्त वर्ष 2024-25 का वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन (APR), वित्त वर्ष 2025-26 हेतु समग्र राजस्व आवश्यकता (ARR) तथा राज्यांतर्गत प्रसारण शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव किया गया था। आयोग ने दिनांक 25 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा उक्त याचिका स्वीकार की।

   इसके पश्चात, आयोग ने सार्वजनिक परामर्श की निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए, दिनांक 20 अगस्त 2025 को हितधारकों एवं आम जनता की सुझावों / आपत्तियों पर विचार करने के लिए जनसुनवाई आयोजित की, जिससे सभी को इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। इसके आधार पर, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ आदेश के अंतर्गत राज्य के भीतर पारेषण शुल्क (Intra State Transmission Tariff) निर्धारित किया है, जिसे दिनांक 08 सितंबर 2025 को जारी किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के टैरिफ आदेश की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं।

नई शुल्क निर्धारण पद्धति

2. आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वर्तमान टैरिफ आदेश में पारेषण शुल्क (Transmission Tariff) के निर्धारण की दृष्टिकोण और पद्धति में परिवर्तन किया है, जो कि दिनांक 06 जून

2025 को जारी की गई यूपीईआरसी (मल्टी ईयर टैरिफ फॉर ट्रांसमिशन) विनियम, 2025 के अनुरूप है। इस वर्ष आयोग ने एक महत्वपूर्ण सुधार किया है, क्योंकि पूर्व वर्षों में केवल उस पारेषण अनुज्ञापी (Transmission Licensee) की लागत, जिसकी टैरिफ नियामक टैरिफ तंत्र (Regulated Tariff Mechanism) के अंतर्गत निर्धारित की जाती थी, अर्थात यूपीपीटीसीएल (UPPTCL), की ही लागत टैरिफ/एआरआर के माध्यम से वसूल की जाती थी। जबकि, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा (Tariff Based Competitive Bidding - TBCB) के माध्यम से चयनित पारेषण अनुज्ञापियों की लागत/वार्षिक पारेषण सेवा शुल्क (Annual Transmission Service Charges - ATSC), जिसे प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया द्वारा निर्धारित कर आयोग द्वारा अंगीकृत किया गया था, केवल यूपीपीसीएल (UPPCL)/राज्य स्वामित्व वाले वितरण अनुज्ञापियों द्वारा ही वहन की जाती थी।

3. वर्तमान दृष्टिकोण में, सभी पारेषण अनुज्ञापियों (Transmission Licensees) की लागतों को एकत्रित कर (ARRs और ATSCs को समेकित कर) सभी वितरण अनुज्ञापियों (Distribution Licensees) तथा अन्य पारेषण सेवा उपयोगकर्ताओं (Transmission Service Users - TSUs) के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा। इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए, आयोग ने पिछले व्यवस्था में अपनाई गई प्रति यूनिट (₹/kWh) पद्धति की जगह अब क्षमता आधारित टैरिफ (₹/MW) पद्धति को लागू किया है, जो कि वितरण अनुज्ञापियों और भारतीय रेल पर लागू होगी। सुगम संक्रमण (Smooth Transition) सुनिश्चित करने हेतु, ₹/MW/माह की यह नई पद्धति प्रथम चरण में केवल वितरण अनुज्ञापियों और भारतीय रेल पर ही लागू की गई है, जबकि इनके अतिरिक्त अन्य ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए पूर्ववर्ती पद्धति यानी ऊर्जा उपभोग आधारित ₹/kWh पद्धति को फिलहाल जारी रखा गया है। टैरिफ निर्धारण की पद्धति इस प्रकार है:

   a) क्षमता आधारित राज्यांतर्गत प्रसारण टैरिफ (₹ प्रति MW/माह) के निर्धारण हेतु, आयोग ने वितरण लाइसेंसधारियों एवं भारतीय रेल की भागीदारी के आधार पर "आधारभूत प्रसारण क्षमता अधिकार" (Base Transmission Capacity Rights) को अनुमोदित किया है। यह अधिकार दैनिक अधिकतम राज्यांतर्गत प्रसारण प्रणाली आहरण के वार्षिक औसत तथा वार्षिक अधिकतम राज्यांतर्गत प्रसारण प्रणाली आहरण के आधार पर, समान भार अनुपात (50:50) में तय किया गया है।

   b) इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा अनुमोदित सभी प्रसारण लाइसेंसधारियों की वार्षिक समेकित राजस्व आवश्यकता (Aggregate Revenue Requirement) का कुल योग "साझा लागत" (Pooled Cost) कहलाएगा, जिसे "कुल प्रसारण प्रणाली लागत - TTSC" नाम दिया गया है। इस TTSC को संबंधित वर्ष में प्रसारण प्रणाली उपयोगकर्ताओं (TSUs) से वसूला जाएगा।

   c) राज्यांतर्गत प्रसारण टैरिफ की गणना इस प्रकार की जाएगी - राज्यांतर्गत प्रसारण प्रणाली की TTSC को "आधारभूत प्रसारण क्षमता अधिकार" से विभाजित कर "₹/MW/माह" के रूप में

व्यक्त किया जाएगा (वितरण लाइसेंसधारियों एवं भारतीय रेल के लिए)। वहीं, TTSC को अनुमानित ऊर्जा आहरण से विभाजित कर "₹/kWh" के रूप में व्यक्त किया जाएगा (वितरण लाइसेंसधारियों के अतिरिक्त अन्य ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए)।

स्वीकृत प्रसारण शुल्क (FY 2025-26)

4. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित ट्रांसमिशन टैरिफ का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

Particulars	FY 2025-26	
	Claimed by the Petitioner	Approved by the Commission
Net ARR (Rs. Crore) (under Sec 62 of the Act) **(A)**	6,279.11	5,442.82
Total TBCB Annual Transmission Service Charges (ATSC) approved (Rs. Crore) (under Sec 63 of the Act) **(B)**	2,294.39	2,294.39
Total Transmission System Cost (Rs. Crore) **(A+B =X)**	8,573.50	7,737.21
Total Transmission Charges exempted For FY 2025-26 under Solar & Data Centre Policy (Rs. Crore) **(C)**	196.09	161.56
Adjusted Total Transmission System Cost (Rs. Crore) **(X+C=Y)**	8,769.59	7,898.77
Base Transmission Capacity Rights (MW) **(D)**	30,864.24	30,861.62
Intra State Transmission Tariff (Rs. /MW/Month) **[X*10^7/(D*12))**	2,31,484.15	2,08,922.10
Intra State Transmission Tariff to be billed to distribution licensee and Indian Railways after Adjusted TTSC (Rs. /MW/Month) **[(Y*10^7)/(D*12)]**	2,36,778.67	2,13,284.55
Total Energy at State Periphery **(E)**	1,70,224.76	1,70,224.76
Intra State Transmission Tariff for Open Access Customers other than Distribution licensees and Indian railways (Rs./kWh) **[(X*10)/E]**	0.5037	0.4545
Intra State Transmission Tariff appliable for Open Access Customers other than Distribution licensees and Indian railways (Rs.kWh) after 15% capping	-	0.2674

5. आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्यांतर्गत प्रसारण टैरिफ ₹2,08,922.10 (प्रति MW/माह) अनुमोदित किया है, जबकि याचिकाकर्ता द्वारा ₹2,31,484 (प्रति MW/माह) का दावा किया गया था।

6. आयोग ने वितरण लाइसेंसधारियों एवं भारतीय रेल के लिए वित्त वर्ष 2025-26 हेतु 30,861.62 MW "आधारभूत प्रसारण क्षमता अधिकार" (Base Transmission Capacity Rights) अनुमोदित किए हैं, जिन्हें UPPTCL और TBCB लाइसेंसधारी संभालेंगे।

7. वितरण लाइसेंसधारियों एवं भारतीय रेल को अनुमोदित आधारभूत TCR के अनुपात में मासिक बिल किया जाएगा। इसमें समायोजित TTSC को ध्यान में रखते हुए ₹2,13,284.55 प्रति MW/माह की दर से बिलिंग की जाएगी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

8. आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं (वितरण लाइसेंसधारियों एवं

Distribution Licensee	Claimed			Approved			
	Base TCR (MW)	% Share	ATC Allocation from Adjusted TTSC (Rs. Cr.)	Base TCR (MW)	% Share	ATC Allocation from Adjusted TTSC (Rs. Cr.)	MTC= ATC/12 (Rs. Cr.)
DVVNL	6,480.00	21.00%	1841.19	6,479.50	21.00%	1,658.37	138.20
MVVNL	6,925.00	22.44%	1967.63	6,924.50	22.44%	1,772.27	147.69
PuVVNL	6,897.00	22.35%	1959.67	6,896.50	22.35%	1,765.10	147.09
PVVNL	8,504.00	27.55%	2416.28	8,503.50	27.55%	2,176.40	181.37
KESCO	862.00	2.79%	244.92	861.50	2.79%	220.49 s	18.37
NPCL	751.50	2.43%	213.53	751.38	2.43%	192.31	16.03
Indian Railways	438.57	1.42%	124.61	438.57	1.42%	112.25	9.35
NIDP	6.17	0.02%	1.75	6.17	0.02%	1.58	0.13
Total	30,864.24	100.00%	8,769.59	30,861.62	100.00%	7,898.77	658.23

भारतीय रेल को छोड़कर) हेतु लागू राज्यांतर्गत प्रसारण टैरिफ ₹0.2674 प्रति kWh अनुमोदित किया है। इसे पिछले टैरिफ के 15% की सीमा में रखा गया है ताकि ऐसे प्रसारण उपभोक्ताओं पर टैरिफ झटका न पड़े और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत अधिनियम, 2003 के अभिन्न अंग ओपन एक्सेस के प्रोत्साहन पर संशोधित **पद्धति** का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

9. उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 तथा डाटा सेंटर नीति, 2021 के अनुरूप राज्यांतर्गत प्रसारण शुल्क पर दी जाने वाली छूट (Rebate) भी लागू होगी और इसका समायोजन मासिक बिलों में किया जाएगा।

<u>लाभ</u>

10. यह राज्यांतर्गत प्रसारण प्रणाली (InSTS) के वास्तविक उपयोग के आधार पर प्रसारण शुल्क की वसूली सुनिश्चित करता है, चाहे कोई TSU किसी विशेष लाइसेंसधारी के नेटवर्क से सीधे जुड़ा हो या नहीं।

11. अब TBCB प्रसारण लाइसेंसधारी की लागत भी सभी प्रसारण उपभोक्ताओं जैसे नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड, डाटा सेंटर पार्क, अन्य ओपन एक्सेस उपभोक्ता एवं भारतीय रेल द्वारा साझा की जाएगी, जबकि पूर्व में यह लागत केवल यूपीपीसीएल (UPPCL)/राज्य के स्वामित्व वाले वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा वहन की जाती थी।

12. यह व्यवस्था राज्य की संपूर्ण प्रसारण लागत को सभी प्रसारण प्रणाली उपयोगकर्ताओं के बीच सामाजिककरण (socialization) सुनिश्चित करेगी, जिससे राज्य-स्वामित्व वाले वितरण लाइसेंसधारियों पर भार कम होगा और उन अंतिम उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा जिन्हें वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा बिजली आपूर्ति की जाती है। ओपन एक्सेस को बढ़ावा मिलेगा और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा।

13. इसके अतिरिक्त, यह पूरे राज्य में ओपन एक्सेस को बढ़ावा देगा और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि अब TBCB प्रसारण लाइसेंसधारियों में भी ओपन एक्सेस संभव होगा, जबकि पूर्व में TBCB प्रसारण लाइसेंसधारियों के लिए कोई ओपन एक्सेस शुल्क निर्धारित नहीं था।

14. UPPTCL को नियमित नकदी प्रवाह (steady cash flow) का लाभ होगा, चाहे मौसमी लोडिंग पैटर्न के कारण विद्युत का कितना भी संचालन हो। इससे उसकी वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी और सेवाओं में सुधार आएगा।

<u>आदेश अंतर्गत निर्देश</u>

15. लाइसेंसधारी प्रत्येक 220 kV एवं उससे अधिक क्षमता वाले उपकेंद्र का वार्षिक आंतरिक संरक्षण ऑडिट करेगा, कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करेगा तथा ऑडिट रिपोर्ट के साथ कार्ययोजना (Action Plan) एसपीसी (SPC) को प्रस्तुत करेगा।

16. लाइसेंसधारी प्रत्येक ऐसे उपकेंद्र का पाँच वर्ष में एक बार, अथवा ग्रिड कोड/एसपीसी द्वारा परामर्श दिए जाने पर उससे पहले भी तृतीय पक्ष संरक्षण ऑडिट कराएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संरक्षण प्रणाली (Protection System) स्वस्थ अवस्था में बनी रहे और ग्रिड की स्थिरता एवं लचीलापन (Resilience) बढ़ सके।

17. आयोग ने प्रसारण लाइसेंसधारी के भावी प्रदर्शन हेतु अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों में इस बात पर बल दिया है कि उन्नत निगरानी एवं नियंत्रण प्रणाली, स्मार्ट ग्रिड तकनीक, ग्रिड आधुनिकीकरण, डाटा एनालिटिक्स एवं मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा उपाय, जलवायु-लचीला नेटवर्क नियोजन, नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण एकीकरण, परिसंपत्तियों का जीआईएस मैपिंग, वर्चुअल ट्रांसमिशन तथा अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसका उद्देश्य नेटवर्क में जाम (Congestion) जैसी समस्याओं का समाधान करना, वोल्टेज एवं आवृत्ति नियंत्रण को समर्थन देना तथा N-1 पुनरावृत्ति (Redundancy) सुनिश्चित करना है।

18. UPPTCL को निर्देशित किया जाता है कि नियंत्रण अवधि (Control Period) के लिए प्रसारण हानि (Transmission Loss) पर प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करे, जिसमें 220 kV एवं उससे ऊपर की प्रसारण प्रणाली को अन्य प्रसारण लाइसेंसधारियों द्वारा TBCB के माध्यम से विकसित किए जाने की स्थिति को ध्यान में रखा जाए, तथा यह अध्ययन तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

टैरिफ आर्डर आयोग की वेबसाईट www-uperc-org पर अपलोड है।

08/09/2025

(सुमित कुमार अग्रवाल)
सचिव